नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिस्चना

दिनांक 18 सितम्बर, 1998

संख्या ची० ची० पी० (एन० ची० धार०) एक० सी० ए०-5/1623.—पंजाब धनुस्पित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र ध्रितयमित विकास नियंत्रन कथित्वयम, 1963 (1963 का पंजाब प्रधिनयम 41) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रवान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्याल के द्वारा विनोक 17 सिलस्वर, 1974 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा थान प्रायोजना विकास अधिन्यता संख्या 3522-22ी० ची० ची 74/24936, दिनांक ४ जुलाई, 1974 द्वारा उकत प्रधिनयम की धारा 4 के प्रधीन यथा अधिन्यत्व पलवल नियंत्रित को के लोगू किये जाने के लिए प्रस्तावित अनुवन्ध "क" तथा "ध" में दिये गये निवन्धों तथा शतौं सहित हरियाणा सरकार, नगर तथा यान योजना विकास प्रविद्वना संख्या 1273-22ी० ची० पी०-78, दिनांक ४ नुपर्य प्राप्त योजना के प्रधिन्नमण में, निम्निलिखित प्रस्ता विकास योजना प्रकाशित करते हैं :--

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तिथि तीस दिन की अवधि की. समाप्ति वा इसके पंचात सरकार प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो निदेशक, नगर ्यास आयोजने विकास, हरियाणा आयोजना भवन, तैक्टर 18, चण्डीगढ़ें द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से ऐसी योजना दिसंबंध में यथा विनिद्धित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये आये, विचार करेगी।

ड्राईग

- विश्वमान भूमि उपयोग प्लैन कृष्टिंग हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम प्रायोजना विभाग, नमांक डी० टी० पी० (ग)-147/76, दिसांक 5 अगस्त, 1976 (अधिसूचना क० 1273-2टी० सी०पी०-78, दिनांक 27फरवरी, 1978 में प्रकाणित) ।
- 2 प्रारूप विकास प्लैन ड्राईग, अमोक डी०टी०पी० (फ)-1871/97, दिनांक 7 नदस्वर, 1997 ।

अनुबन्ध 'क'

पलवल की विकास प्लैन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

त्राचीन नगर पलवल के संबंध में कहा जाता है कि इस की स्थापना महाभारत काल में हुई। पुरातत्व के महत्व दों पर 13 वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। यहां जिला फरीदाबाद की महत्वपूर्ण तहसील का मुख्यालय है। यह भी के वेदे में रहते वाले लोगों को उपभोक्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए व्यापार तथा खरीददारी की मुविधा दिहा है।

क्षत्रक महत्वपूर्ण स्थान पर नियत है। यह दिल्ली के दक्षिण में दिल्ली-मधुरा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दिल्ली-बम्बई रेल पर 5 कि मीठ की दूरी पर है। जिले के प्रत्य महत्वपूर्ण नगरों के साथ इसके प्रच्छे सड़क सम्पर्क हैं। यह राष्ट्रीय बधानी क्षेत्र के 17 प्राथमिक नगरों में से एक है। प्रस्तावित सड़क की बाहरी मुद्रिकार्य तथा रेल लाईनों को इस नगर के बीच से गुजारते हुए हरियाणा उपक्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र से सिकाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को कार्यक्य देने के पण्चात इस नगर की क्षमता कई गणा बढ़ जायेगी।

पलवल नगर की सीमार्थे हिन्दी-मधुरा रेल लाईन के पूर्वी श्रोर है, इसके उत्तर श्रीर दक्षिण में दो रजवाहे हैं, जिन से इबं गिर्व गांवों को सिवाई मुविधार्थे मुहैया होती, हैं। प्राचीन नगर एक बहुत वहें टीलें पर दिशत है असके वारों श्रोर का स्थान नीचा है, जो 2 पुट से 6 फुट तक गहरा है। इस कारण से विभाजन के पण्चात दो निवास कर्तानियां परस्पर एक किलोमीटर की दूरी पर विकक्षित हुई। ये कालोनियां प्राचीन नगर के दक्षिण-पूर्व में समागनत्तर काई के रूप में बनी। परिणाम स्वरूप बीच का क्षेत्र भृति की किस्म की श्रोर ध्यान न देते हुए प्रावासीय वाणिज्यक तथा श्रीक्षेत्रिं को किस्म की श्रोर ध्यान न देते हुए प्रावासीय वाणिज्यक तथा श्रीक्षेत्रिं को किस्म की होर ध्यान न देते हुए प्रावासीय वाणिज्यक तथा श्रीक्षेत्रिं को किस्म की होर बहुत ही सहेबाजी का जीविम वन गया है जब कि यहां पर प्रावस्थक श्रवस्थानन सुविधार्थों का भी प्रभाव है।

2. जनसंख्या:

पलवल नगर की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 59127 है। ट्याब्दीवार नगर की जनसंख्या की विक.स वर निम्म प्रकार से हैं:---

भांक वर्ष	4111	
मांक वर्ष	12830	
1 1901	9485	-26.07
2 1911	9352	-1.40
3 1921	10807	15.50
4 1931	13606	25.90
5 1941	13915	2
6 1951	27863	THE .
7 1961	36207	2
8 1971	47328	30
9 1981	75127	(भिस्तारीत 58.7
10 1991*		णहर)

*जिस में विस्तृत नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या शामिल है।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1901-1921 के दौराल महामारी के कारण जनसंख्या से आई कभी और 1951-1961 के दौराल पश्चिमी पाकिस्ताल से विस्थापित अनसंख्या के पुनेवास के कारण जत प्रतिज्ञत हुई वृद्धि को छोड़कार नगर की विकास दरसंधन रही है। वर्ष 1991 की जनगणना में रिकार्ड की गई 59127 की जनसंख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर की विकास दर 30. 72 प्रतिज्ञत से कम होकर 24. 98 प्रतिज्ञत रह गई है जिससे नगर की स्थिरता की गस्त याभास मिलता है बस्तुतः की विकास दर 30. 72 प्रतिज्ञत से कम होकर 24. 98 प्रतिज्ञत रह गई जिससे नगर की स्थिरता की गस्त प्रमाण सिकता है बस्तुतः की विकास दर 30. 72 प्रतिज्ञत से कम होकर 24. 98 प्रतिज्ञत रह गई जिससे नगर का स्थित के नगर प्रतिज्ञत के स्थान है अन्तरात्र की विद्यास देश होता है के कारण इस क्षेत्र की अनसंख्या की मही प्रतिज्ञत की स्थान के प्रतिकृति की साम प्रतिज्ञत की प्रतिज्ञत की साम की साम की स्थान अनसंख्या 87788 व्यक्ति है प्रीर वर्ष 2001 ईस्वी ते का 1,00,000 हो जायेगी जिस के लिए प्रकारिक प्रतिम प्रविक्त प्रति की तथा स्था।

3. ग्राधिक ग्राधार :

हांक्यिकी के अनुसार वर्ष 1991 में कुल अलगंच्या 75127 व्यक्ति थी, 21036 व्यक्तियों को कुल का विता गया जो कि कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत था। इस कार्यरत यल का विभाजन विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में सम्माप्रका किया जा सकता है ---

क्रमांक रोजगार क्षेत्र का नाम	nies to my	कामगारों की संख्या	कुल कामगारों की प्रतिशतता
 कृषि क्षेत्र (कृषक तथा कृषि मजदूर) 	policies of page	1262	6.00
 प्राचीनिक क्षेत्र (घरेल विनिम्नीता, सेवा तथा मुरम्मत) 		1683	8.00
3 व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन तथा सेवा क्षेत्र		18091	86.00
The state of the s	मूल जीव	21036	100,00
			the tarte tarte tarte tarte tarte

उपर्युवत सांख्यिकी के प्रवलोकन से यह पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और अर्थव्यवस्था के सेवा भीयक क्षेत्र) अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे प्रमुख क्षेत्र है, जिन में नगर के कुल कामगारों के 86,00 प्रतिजत कामगार लगे हुए र का श्रीचोगिक श्राधार बहुत श्रव्छा नहीं है। क्योंकि इस नगरमें कोई वड़े दर्ज का उद्योग नहीं है जिसके तस्वरुप अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में कुल कामगारों के 8 श्रीतज्ञत कामगार ही लगे हुए हैं। इस निर्धावत क्षेत्र में गांव वामनीखेड़ा में में ही स्थापित चीनी मिल इस नगर का हिस्सा नहीं है। पलवल संड के बीदोगिक तौर पर पिछड़े होने के सम्बन्ध में हुई सुचना से अब स्थिति बदल रही है, बोर दुख विधानन संयंत्र बोर राईस शैलर इत्यादि जैसे कुछ बड़े पैमाने के हवि बाधारित ह हाल ही में शुरु हुए हैं और ऐसे ही अन्य युनिटों पर कार्य चल रहा है। यश्रीप ये युनिट नगर की तगरपालिका सीमाओं से वाहर त है हिंगे तथापि, कार्नणार बेहतर जीवनवापन पर्यावरण के बाधा में नगर में ही ब्रंपने घर दुढ़ेंगे। इस प्रकार इस नगर में ब्बत रूप से लगभग 75मीतभान की वृद्धि दर पर विकास होगा और नगरपालिका के लिए। आवस्थक उपार्थों को तेश करने की हरत है।

इस नगर के विकाण लोग े भी बालोविका के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं ब्रॉर दिल्ली बाते आते र से विल्ती कर करीदावा विविद्य अवाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए जिला नगर योजसाकार, फरीवाबाव सर्वेक्षण क्या गय औ जिससे यह पता चला कि इस नगर के कुल कामगारों के 60 प्रतिशत कामगार अपनी प्राजीविका दल्ली धर फरीशबाद आते जाते हैं। परिवहन के विभिन्त स्थानों का उपयोग करने वाले हर रोज आने जाने वाले क्रा के व्यास निम्नानसार है :---

्र परिवहन सध		7		प्रतिदिन ग्राने जाने बाले व्यक्तियों की संख्या	प्रतिदित झाने जाने बाले व्यक्तियों की प्रतिणतता
				4434	53.00
1 रेल डारा 2 वस डारा				5200	42.00
	1		जोड़	7634	100.00

अ उपयोग पैटने अवस्थापना सुविधाये धार विकास प्रवृति

भूर के अन्य नगरों की भांति इस नगर का वर्तमान भूमि उपयोग पैटने, ओ कि दिल्ली-मूथरा सुउक छोर पलवल-न्तर्जा । य मिलता है, की विजेपता यह है कि इसका मिलाजशा उपयोग किलाजाता है जैसे केन्द्रीय स्थल पर अध्यक्षिक संबार पैटर्न, निर्मित भवन, मल निकास और वर्षा जल प्रणाली का अमाय होता। पाकिंग सविवाओं के विचा संक्रक क दोनों प्रोर हुकाने होने के कारण यातायात के लिए सतरा प्रार प्रनय सामुदायिक सुविधार्य पर्याप्त नहीं हैं।

तथाप दलपुर सडके उपमार्ग ग्रीर दिल्ली-सथरा सड़क के साथ लगती एक नथी कालोनी नगर की एकमात जावीजित कानोनी है जिसकी स्थापना पाकिस्तान से जाने वाले शरणाधियों के पुनवाल हेतु भारत के विभाजन के परचात की गई थी। कातम्स बोर्ड, हरियाणा द्वारा सैनटर-2में एक आवास कालोनी बनाई गई है जो हाल ही में मुकम्मल हुई है। यदापि, वर्ष 1978 में विकास करने पलबल के लिए एक विकास योजना तैयार की गई थी और नगर को राष्ट्रीय राजधानी कोल योजना में प्राथमिक नगर के रूप में अभिनित्योदित विध्या स्थाप, तथापि, इस नगर के प्रेरित और आयोजित दिशास के तिए ईमानदारी से आर भरतक प्रयास नहीं किये गये। सैक्टर-8 कीर 10 उपमान के बीच स्थित है और वर्तमान नगर गन्दी बस्ती के रथ में विकसित हो चुका है भीर इसी प्रकार रोक्टर- 9 एक महत्वपूर्ण स्थान है जो लदानस्थल (डाई पोर्ट) विकसित करने के विचार से विकास योजना में अनिश्चित उपयोग के लिए आर्थित हैं. एक गन्दी वस्ती के रूप में विकसित हो चका है।

सैक्टर-13 में थोक अनाज और सब्जी मंडियां विकसित हो चकी हैं जो विकास योजना में थोक व्यापार के लिये आरक्षित है।

(ख) वर्तमान ग्रवस्थापना

पलवल नगर में दो महाविद्यालय है, कि बीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के लिये पृथक-2 दो विग है, एक व्यावसायिक मैक्षणिक संस्थान, तीन वरिष्ठ माध्यमिक , छ: उच्च, दो मिडल, चौदह प्राथमिक विद्यालय, एक तीस विस्तरों वाला सिविल अस्पताल, एक ई० एस० आई० डिस्पैन्सरी, घालीस स्थानीय चिकित्सक, एक अग्नियमन केन्द्र, पांच सितेमाघर, सितेमा, जिसमें चार मिनी थियेटर भी शामिल हैं, चार विकसित पार्क, दो पुस्तकालय, तीन क्लब, दो विश्वाम गृही तीन धमशालायें, दो होटल/एक रेलवे स्टेशन, एक यस प्रइडा, चार डाक-घर, एक टेलीफोन कार्यालय, एक इलक्ट्रोनिक टेलीफोन कार्यालय, जिनमें 1500 आईने हें, धार पैट्रील प्रम्य पीर एक एक पी वैस एजैंसी है। एक सामुदायिक केन्द्र ग्रीर एक स्टेडियम पर निर्माण कार्य शीघ्र ही शरू किया जा रहा है।

(ग) विकास प्रवृति

रेलवे स्टेशन, फल तथा सब्जी एवं प्रशाज मेडियों जी स्थिति, वर्तमान र पिर सर्व की श्रोस्प्रप-मार्ग के होने के कारण रेलवे लाईन, उपमार्ग में बीब और यर्तमान नगर के समुचे क्षेत्र में विकास हम्रा है। तक्षा, ये क्षेत्र अब कालोनियों के रूप में विकसित हो चुके हैं, दिल्ली सड़क, सोहना सड़क, नृंह सड़क के और हवीने पुड़क के नाय-2 कालोनियों के रूप में विकसित हो चुके हैं, दिल्ली सड़क, सीहना सड़क, पूर पड़ है। दिल्ली-प्रयुरा रेलवे लाईन के पूर्व की ब्रोर कोई सहत्वपूर्ण विकास नहीं है ब्राहे। किन्तु रेलवे लाईन के स्टू है। दिल्ली-मधुरा रेलेब क्षाइत के पूर्व का आर कारण है। विश्व कि विकास संभावनाय के गई है। विश्वेष्ठ है पत्रवल अनीगढ़ सड़क पर समृता पर पुल बन जाने के कारण इस छोत्र की , गांव-भगवानपुर और किरोक्चर आदि कोचोगिक रूप में पिछड़ा खंड घोषित कर दिया गया है। अनेक उठमक जो हैं और इस कीत में कुछ क्रांचीगिक स्पृत्ति दिल्ती- मंबरा सड़क एवं रेलबे लाईन के बीच स्थित क्षेत्र में ठिंच लेने ग्रनमति दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपर्यक्त और प्रस्तावित सड़क ग्रीर रेल भूटवर्क के वृष्टिगत ग्रासानी से ग्रनुसान लगाया जा सकता है कि विस्ती-मथुरा , पलवल-सोहता पलवल-पृंह और पलवल-हुथीन सङ्गों के साथ-2 नगर का भावी विकास होगा।

पलवल नगर के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश प्रस्ताव :

(क) जनसंख्या।

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की क्षेत्रीय योजना के अनुसार परावल को गीण तथा दियक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जटाकर भविष्य में दिल्ली आने वाले प्रवासियों को त्थान देने के लिये प्राथनिक नगर के रूप में आ निर्धारित किया गया है। 2001 ई० तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना में पलवल नगर के लिये 2, 5 लाख की जनसे होने का अनुमान लगाया गया है। 87789 की वर्तमान जनसंख्या और दिल्ली से कार्यालयों को बदलने के लिये कार्यक्रम को प्यान रखते हा ार की जनसंख्या 2001 ई० तक एक लाख ते बोड़ी सी बढ़ सकती है। ग्रतः राष्ट्रीय राजवानी प्रदेश या निर्वारित 2.5 लाख जनसंख्या स्तर को 2001 ई० तक प्राप्त करना संभव नहीं है।

गत दणाब्दी के दौरान लगभग 60 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर श्रीक्रोगिक युनिटों की बढ़ ने हुई जै बढते हुए व्यापार कीर वाणिया क्यार को व्यान में रखते हुए यह निर्कार्य निकलता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर व के दौरान 70 प्रतिमा तक और 2001-2011 तथा 2011-2021 ई० के दौरान लगमग 75 प्रतिमत हो व द्विदर के अनुसार नगर की जनसंख्या 2021 ई० तक 3.5 लाख तक यद सकती है। अनुसान है कि कार्यालकी की बदलने सब्दान राष्ट्रीय राज्यांनी क्षेत्र योजना प्रस्तायनामां ग्रीर प्राथमिक नगरों में ग्राथिक गतिविधियों ग्रीर क्षेत्रीय सड़कों एवं रेल काईन में जड़ने से मधर की जनसंख्या 2021 ई० तक 4.00 लाख तक पहुंच सकती है। सगर के निवं 2021 ई० तक 4.00 लाख की भावी जनसंख्या के प्राच्या विकास योजना तैयार की गई है।

(व) आधिक गतिविधियो

राष्ट्रीय राज्यानी क्षेत्र में किफारिश की गई है कि सरकारी, नियमों सार्वजनिक कोत्र के उपन्रमों के कार्याक्रमों को दिल्ली से प्राथमिक नगरों में ले आया आये। पलवल, पर्याप्त सड़कों तथा रेल से जुड़े होने के कारण इन कार्यालों के लिये एक आदर्ग स्थान है। क्षेत्रीय योजना के आगे प्राथमिक नगरों में थोक "व्यापार श्रीर वह तथा मध्यम उद्योगों को सिकारिण की गई है।

(11) परिभाषायें :---

इन विनियमों में :---

- (क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, इन नियमों के अन्तर्गत अनुमोदित ।
- (ख) "भवन नियमों" से व्यभिप्राय है, अवतन संशोधित नियमावली 1965 के भाग-VII में निहित नियम।
- (ग) "ड्राइँग" से अभित्राय है, ड्राइँग संख्या डी० टी० पी० (एफ)-1871/97, दिनांक 7 नवस्वर, 1997
- (घ) "फर्ज क्षेत्रफल अनुपात" से अभिप्राय है, भवन की सभी मंजिलों के समृचे फर्ज और क्षेत्रफल के बीच की प्रतिशतत ।
 में दिखाया गया अनुपात और स्थल का कुल क्षेत्र ।
- (ङ) "सामृहिक आवास" से अभिप्राय है, रिहायश के प्रयोजनार्थ पलैटों के रूप में विकसित भवन या कोई आपस में जुड़ा हुआ अथवा कपार्टमैटनुमा भवन, जिसमें सामृदायिक सुविधायें सार्वजनिक सुख—सुविधायें फ्रोर सार्वजनिक उपयोगितायें उपलब्ध हैं, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित और अनुभोदित है।
- (च) "उपभोक्ता उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसे उद्योगों से है, जिनसे हानिकारक या अहितकर, व्यति, धुप्रा, गैस, भाग प्रथवा दुर्गन्य धुल, निस्त्राव नहीं होता और जिनमें कोई अत्यधिक आपित्त्वनक बात नहीं होती और जो विजली द्वारा चलाये जाते हैं।
- (छ) "स्थानीय सेवा उद्योग" से अभिश्राय ऐसे उद्योग से है जिसमें विनियमित वस्तु और उत्पाद की अथत प्राय: स्थानीय क्षेत्र में ही होती है, उदाहरणार्थ वेकरी, आईसकीम विनिर्माण, फेनिल पेय, विजली से चलते वाली आटा चिक्कयां, लांड्री इाईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित वाहनों, स्कूटरों, साईकलों की मुरम्मत और सर्विम, प्रदेश वर्तनों की मुरम्मत, अूता—निर्माण और मुरम्मत, ईश्वन विपो आदि वणतें कि उनके द्वारा किसी ठोस इंशन का उपयोग न किया जाता हो।
- (ज) "मध्यम उद्योग" से अनिश्राय है, ऐसे उपभोक्ता उद्योग श्रीर स्थानीय सेवा उद्योग जिनसे हानिकारक या अहितकर ध्रमां और दुर्भन्य नहीं निकलती, से भिन्न सभी उद्योग।
- (झ) "विशाल उद्योग" से अभित्राय सरकार की अनुमति से स्थापित कोई उद्योग है और जो इतना वड़ा है कि उसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हैं और जिसमें किसी प्रकार के ईंग्रन का उपयोग किया जा सकता है वशते कि उसके लक्षण हानिकारक न हों।
- (ङा) "भारी उद्योग" से अभिश्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्थसरकारी अथवा प्राईचेट क्षेत्र में स्थापिस उद्योग (मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार को उद्योगनीति में परिभाषित हों।
- (ट) "अहितकर या खतरनाक उद्योग" से ग्रामिश्रय है सरकार की अनुमति से स्थापित उद्योग, जिनमें अत्याधिक पूजी तनी हुई है शौर जिनमें से अत्याधिक धुआ, ध्वान, स्पन्दन, अत्रिय अथवा हानिकारक निस्त्राव, विस्कोटक, ज्वलनशील सामग्री आदि जैसे लक्षण हैं, भ्रीर जो जनसमृदाय के स्वास्थ्य भीर मुरक्षा के लिये खतरनाक हैं।
- (3) "महत्वपूर्ण तिथि" से आमिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सङ्कें तथा नियंतित क्षेत्र अनिविध्त विकास प्रतिबच्ध अधि— नियम, 1963 की धारा—4 के अधीन अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र में भूमि से संबंधित 4 जुलाई, 1974 देखिये 1 7 सितम्बर, 1974 के हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार की अधि— सचना संख्या 3522—22ी० सी०पी०—94/24936, दिनांक 4 जुलाई, 1974।
- (ड) वियंतित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में अनुरूप उपयोग से अभिश्राय है ऐसी भूमि या भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में उस क्षेत्र के उस भाग के लिये निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के लिये वितरित है।



- (द) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन" से प्रतिशाय है ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगता सेवामों जैसे कि सल्लाई, जब निकास, विज्ञाने कि तथा तार प्रोर परिवहन तथा प्रान्तितन केट सहित किनी प्रकार की नगरवालिका सेवा के लिये प्रयोगित है।
- (ण) "नियमावली" से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंदिय नियमावली, 1965 ।
- (त) "सैनटर सबनता" और "कालोनी सबनता" से ग्रिमिशाय है, सैक्टर या कालोनी के क्षेत्र, जर्सी भी स्थिति हो,
 में प्रति एकड व्यक्तियों की संख्या।
- (व) "सैक्टर क्षेत्र" अववा "कालोनी क्षेत्र" से अभिप्राय है सैक्टर के मामले में नक्ते पर दिखाई गई मुख्य सड़क प्रणाली में परिवद अनुसार।

व्याख्या:---

- सैक्टर लेव घोर कालोनी के मामले में कालोनी की अनुमोदित ग्रामिवन्यास योजना पर कालोनी के क्षेत्रक इसमें सैक्टर के चारों घोर मुख्य सड़कों के ग्रन्तर्गत ग्रामे व.ली 50 प्रतिगत भूमि शामिल हे घोर मुख्य सड़क प्रणालीके अन्तर्गत ग्रामे वाली भूमि तथा सैक्टर या कालोनी में, जैसा भी स्थिति हो, भवन विकास के लिये अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं है।
- 2. "मैक्टर सवनता" या "कालोनी सवनता" की गणना के प्रयोजनाय, यह परिकल्पित होगा कि सैक्टर क्षेत्र या कलोनी का 55 प्रतिकृत रिहायशी प्लाटों के लिये उपलब्ध होगा, जिसमें वर्ग प्रावास के ब्रन्तर्गत प्राने वाला क्षेत्र शामिल होगा घोर प्रत्येक भवन प्लाट में के असतन तीन प्रावास यूनिट होंगे अथवा प्रत्येक पूनिट में 4.5 व्यक्ति की प्रत्येक भवन प्लाट में 13.5 व्यक्ति रह स्तर्में अववा कालोनीश्वर प्रावास कम्मलैनस की अवल योजना में नियमित प्रनुसार। तथापि दुकान एवं रिहायशी प्लाट के सम्मले में केवल एक अब आवासीय यूनिट की परिकल्पना की जायेगी।
 - (व) "स्थल व्याप्ति" से प्रभित्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र ग्रीर स्थल क्षेत्र के बीच निर्मित क्षेत्र की प्रतिज्ञतता दर्शाने ज्ञाला अनुपात ।
 - (ध) अधिनियम, कालोनी , उपनिवेशक, विकास योजना, सैक्टर और सैक्टर योजना का वही अर्थ होगा जो पंजाब अनुसूचित सङ्कें और नियंतित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 और नियमावली 1965 में है।

अन्य शब्दों का भी वही अर्थ होना जो पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिवन्ध अधिनियम, 1963 में है।

- (प) "फार्स गृह" से अभिप्राय हैं, फार्स के स्वामी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनार्थ अपनी भूमि पर तिमित गृह:--
 - निवास यूनिट अर्थात् मुख्य उपयोग ।

ग्रीर

ii. फार्म शैंड अर्थात गीण उपयोग।

टिपणी :-

- फार्म गृह का निर्माण, "प्रामीण/कृषि अंचल में आबाद से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था" संबंधी खंड के अन्तर्गत दिये गये प्रतिवन्धों द्वारा शासित होगा।
- फार्म शैड, भवन नियंत्रण और स्थल विजिष्टियों संबंधी खंड में उल्लेखित प्रतिवन्धों द्वारा शासित होगा ।

(व) टांड की पुश्तवान:

स्वयं कमरे के अन्दर खम्भे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आदृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभाग एक मीटर से अधिक चौड़ा नहीं। पर (भ) ग्रटारी

सामान्य फर्ण से ऊपर प्रविकतन 1.5 मीटर जी उंचाई बलुबा छत में शेष बचे स्थान पर मध्यवर्गी फर्म, जो भडारण प्रयोजन हेतु निर्मित करवाई जाती है ग्रथवा अपना ली जाती है।

(म) परछती तन --

उस तन के क्षेत्रफल का 1/3 तक सीमित परछती के श्रेत्रफल होता है तथा स्यूनतम भूमि की सतह वे ऊपर 2.2 मीटर ऊंचाई पर मध्यवर्ती तल होता है।

- (य) "कृषि के लिए उपयोगी" ते स्रतिप्राय है ऐसा विकास तथा गतिविधियों, जो नतकूप, पस्य चैम्बर, पदन चिकियां, सिवाई नालों, पक्के कलेट फार्म बाढ़ लगाने और चारदीबारी, जल नल आदि जैसे कृषि सम्बन्धी कार्यों को करने में सहायक हैप में अपेक्षित है।
- 😽) "ग्रामीण उद्योग स्कीम "से प्रक्रिप्रस्थ है, ऐसा ग्रीद्योगिक यूनिट जिसे उद्योग विमाग द्वारा लघु ग्रामीण उद्योग के ग्रंतगंत पंजाकृत किया जाता है।
 - (ल) लवु उद्योग से अभिश्राम है ऐसा श्रोद्योगिक युनिट जो उद्योग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत है।
- (व) छ्वि आधारित उद्योग ते अभिश्राय है ऐसा श्रीचोगिक यूनिट जो खाद्यान, फलों या छ्वि येस्ट का उपयोग कच्चे फल के रूप में करता है।

(III) मुख्य भीम उपयोग ग्रंचल

- (i) रिहायसी
- (ii) श्रीद्योगिक श्रंचल
- (iii) वाणिज्यिक ग्रंचल
- (iv) सरकारी तथा अर्धसरकारी उपयोग (संस्थागत ग्रंचल)
- (v) मुख्य खुले स्थान
- (vi) परिवहन ग्रीर संचार ग्रंचल
- (vii) सार्वजनिक उपयोगिता
- (viii) कृषि ग्रंचल

मुख्य भूमि का वर्गीकरण परिशिष्ट "क" अनुसार है।

क्टरों में विभाजन

उपर्युक्त विन्यम-III में क्रमांक (i) ते (vii) पर डल्लेखित मृख्य भूमि उपयोग, को भवन प्रयोजनार्थ है, को सैक्टरों में विभाजित किया गया है, जैसा कि मुख्य सड़क ब्रारक्षणों द्वारा परिधीमिल दिखाया गया है और प्रत्येक सैक्टर को ड्राईग पर ग्रंकित प्रनुसार नम्बर दिया जायेगा।

(V) मुख्य उपयोगों में विस्तृत अिम उपयोग--

मुख्य अनुवंत्री एवं सम्बद्ध भूमि उपयोग जो इन विनियमों और नियमों की ग्रन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, को मुख्य भृमि उपयोग अंचल में अनुमति दे दी जाये। यह उपयोग परिशिष्ट "खं" में सूचिवड है और इन विनियमों के साथ ज़ है ए हैं :--

(vi) क्षेत्र, जिन का ग्रभी विकास सम्भव नहीं है--

विभिन्त सैंक्टरों की शवन निर्माण हेतु भूमि के उपयोग के लिए धारक्षण होने पर भी निदेशक उन सैक्टरों की भूमि के उपयोग को बदलने की अनुमति नहीं देसकता अथवा नियं<mark>त्रित क्षेत्र परएक साथ तथा कि</mark>फायती विकास के विचार से भवन निर्माण की तब तक अनुमति देने से मनाही कर सकता है जब तक जल संप्लाई, मल-जल निकास, व्यवस्था अन्य सुविधाएं उसके संतुष्टि के अनुसार स्निश्चित नहीं हो जाती।

(VII) केवल सरकारी उद्यमों द्वारा विकसित किये जाने वाले सैक्टर:-

 वाणिज्यिक तथा संस्थानत प्रांवल के लिए प्रारक्षित सैक्टरों में भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रीर विकास केवल सरकार प्रथवा सरकारी उनकार्य या इस संबंध में सरकार द्वारा प्रमुमीदित सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और इस सैक्टरों में किसी भी कालोनी के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. उपर्यंक्त खंड (I) के उपबन्धों के होने पर भी सरकार किसी भी समय किसी ग्रन्य सैन्डर को केवर सरकार द्वारा विकास के लिए ग्रारक्षित कर सकती है।

(VIII) मुख्य सड़कों के तिए अभि का आरक्षण: -

मुख्य सड़कों के लिए भूमि का धारक्षण निम्न प्रकार होगा:---

(i) निक्को में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग न० 2 वर्तम संकेत एम-। में

वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ग्रोर प्रस्तातित ग रण में 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का एवं कृषि ज के में 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी

(ii) नक्यों में मुख्य सड़क संकेत एस-।-ए

वर्तमान सड़क चौडाई

(iii) नक्शों में मुख्य संड्क संकेत एम-।-बी

वर्तमान सड़क चौड़ाई जिसके दोनों श्रोर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी।

(iv) नक्यों में मुख्य सड़क संकेत एम-II-ए

60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों शोर 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी।

(v) नक्शे में मुख्य सड़क संकेत एम-II-वी

60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ग्रोर 60 मीटर चौड़ी हरित पट्टी ।

(vi) नक्शे में मुख्य सड़क संकेत एम-II-सी

वर्तमान सड़क की चौड़ाई जिल्के दोनों श्रोर प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र में 30 मीटर बौड़ी हरित पट्टी।

(vii) नक्को में मुख्य सड़क संकेत एम-II-डी

60 मीटर चौड़ी सड़क के दंनों ग्रोर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी।

(viii) नक्को में मुख्य सड़क संकेत-एम-III

30 मीटर चौड़ी सैक्टर सड़का

 अन्य सङ्कों की चौड़ाई तथा सीबाई सैक्टरों की प्लैन के अनुसार अथवा कालोियों में अनुमोदित नक्शे के अनुसार होगी ।

(IX) श्रौद्योगिक स्नननुरूप उपयोग:-

विकास योजना में श्रोधोषिक श्रंचल से भिन्न दश्यि गये श्रंचलों में विद्यामान उद्योगों के हुआ में श्रानुरूप श्रीधोषिक उपयोग को उस श्रवधि हेतु जारी रखने की श्रनुमति देदी जाये जिसे निदेशक महोदय द्वारा निर्धारित विया जाये । यह श्रवधि 10 वर्ष ने श्रनिक हो परन्तु सम्बद्ध उद्योग का स्वामी निम्न श्रकार से कार्यवाही करे :---

- (क) उस स्वल को बाह्य विकास की स्रोर निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जिसे निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाये, निदेशक को देने का बचन देता हैं स्त्रौर देगा जब भी कभी उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है।
- (ख) अंतरिस अवधि के दौरान वह निदेशक महोदय की संतुष्टि के लिए मल निस्तारण को उपयुक्त कावस्था करेगा।
- (ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में श्रीर विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(X) अननुरूप उपयोग को समाप्त करना:-

घटा∏)

- यदि भृति का अननुरूप उपयोग लगातार दो वर्षों की अविध के लिए अथवा अधिक समय के लिए बन्द रहा है तो इस उपयोग को समाप्त । आ समक्षा जायेगा और भूमि को केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः उपयोग में लाने हेर्तु। पुनः निकसित करने की ग्रन्भति दी जाये शि:--
- यदि अन् १ रूप उपयोग का भवन पुनः निर्माण मृत्य कर 50 प्रतिवत सीमा तक या इससे अधिक नष्ट हो जाता है, इस का कारण प्रन्नि, बाढ़ वस्कोट, भूकम्प, युद्ध, दंगा अथवा अन्य कोई प्राकृतिक घापदा हो तो इसे केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकासित करने की अनुमति दी जायेगी।
- खंड-IX के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात भूमि के केवल अनुरूप उपयोग के लिए विकासत करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

्रैक्टर प्लैन तथा प्रांचलिक प्लैन के अनुरूप विकास:

त्रिनियम संख्य IX में उपबन्धित को छोड़ कर मुख्य भूमि उपयोग के अन्तर्गत किसी भी भूमि के लिए भवन निर्माण क उपयोग के लिए प्रतुप्तति नहीं दो जायेगी। जब तक कि सैक्टर प्लैन ग्रांचलिक प्लैन तथा श्रनुपोदित कालोनी के उस प्लैन में संकेतिक विस्तृत व्योरे के प्रन्सार प्रस्तावित उपयोग एवं विकास नहीं है जहां पर कालोनी स्थित है।

(XII) अनुभोदित नक्यों ३ थवा आंचलित प्लैन का भाग बनने वाला एक स्थल:

किसी भी प्लाट पर भवन निर्माण या पुतः भवन निर्माण की प्रनुमति तव तक नहीं दी जायेगी जब तक निम्नानुसार कार्यवाही न कर ली जाये:---

 यह अनुमोदित कालोनी का हिस्सा बनता है अथवा प्लाट ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसके लिए विनियम संख्या XVII में उपबन्धित अनुसार ढील दी गई है।

II. प्लाट तक सङ्क जाती है और यह सङ्क प्लाट के स्थल तक निदेशक महोदय की संतुष्टि के अनुसार निर्मित की गई है।

(XIII) विभिन्न प्रकार है भवनों के लिए कम से कम नाप का प्लाट:

विभिन्न अकार के उपयोगों के लिए कम से कम नाप के प्लाट निम्न प्रकार से होगा :--

(1) ग्रावासीय प्लाट (2) रियायती श्रीद्योगिक आवास अथवा गन्दी बस्ती में रहने वालों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित आवास स्कीम में आवासी प्लाट

वर्गमीटर 100 (3) दुका। एवं ग्रावासी प्लाट

(4) शार्षिण वृथ जिस में वरामदा अथवा सामने पैदल चलने का ास्ता शामिल है

100 वर्गमीटर

(5) स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट (6) उपाोक्ता उद्योग प्लाट

250

50 वर्गमीटर

वर्गमीटर

वर्गमीटर

(7) मध्य र उद्योग के लिए प्लाट

8000 वर्गमीटर

थुप ग्रावस स्कीम के ग्रन्तर्गत प्लाट का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ होगा यदियह लाईसेंस प्राप्त कालोनी का हिस्सा व ि पदि स्टतंत्र रूप से इस का विकास किया जाता है तो यह प्लाट 10 एकड़ का होगा।

च्तों के अन्तर्गत प्लाट पर भवन बनाना, भवन की ऊंचाई तथा भवन समह:

स्वतंत्र प्रावासीय एवं **प्रोधोगिक प्लाटों में भवन बनाना और उसकी ऊं**चाई जिस तक भवन को बनाया जा सकता है नियम पुस्तिका के ब्रध्याय-VII में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार होगी। अन्य श्रेणीयों के मामलों में श्रीविकतम भवन हिस्सी तवा क्यों क्षेत्र अनुपात, बास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुसार बास्तुकता संबंधी नियंत्रण के अनुसार विनियम —XVI के अन्तर्गः निस्न प्रकार से लगाया जायेगा:—

कमांक उपयोग प्रकार	भूतल भवन	ग्रधिकतम तल क्षेत्र	
1 प्रप आवास	35 प्रतिशत	175	the in the action is per-
2 सरकारी कार्यालय	प्रतिशत		
3 वाणिज्यिक			
(क) एकीकृत निगम		150	वाणिष्जियक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल प्लाट योग्य क्षेत्र समझा जाना है जब सैक्टर का कुल प्लाट योग्य क्षेत्र निकाला जाना है।
(ख) व्यानसम्ब	100 प्रतिशत	300	वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिवात क्षेत्र जहां पर ऐसे स्थलों की योजना तैयार की गई है, को सैक्टर के प्लाट बनाये गये क्षेत्र की गणना करते समय इसमें गिना जाना चाहिए।
4 भांडागार	75 प्रतिशत	150	~

ध्यान दीजिये:-

आचिलिक योजना में अनुमोदित अनुसार भूगत तल की अनुमति होगी। भूगत तल को भांडारण के उद्देश्य सेकाम में नहीं लाया जायेगा।

(XV) भवनों के सामने तथा पीछे की तरफ भवन पंक्त:--

पंजाब श्तुस्चित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध नियमावसी, 1965, के रियम संस्था 51, 52 तथा 53 अनुसार इन की व्यवस्था की जायेगी।

(XVI) बास्तुकला संबंधी नियंत्रण: -

प्रत्येक भवन, पंजाय अनुसूचित सङ्क एवं नियंतित क्षेत्र प्रनियमित विकास प्रतिवत्य, नियमावली, 1965 के नियम संस्था 50 के अन्तर्यत तैयार किये गये वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा। (XVII) कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील:

प्रामीण श्रंचल में प्राने वाली किशी भूमि के मामने में तरकार द्वाराइस विकास योजना संबंधी उपवन्धों में ढील दी जा सकती है :---

- (क) भूमि का आवाबी अथवा श्रौधोगिक कालोनी के रूप में उपयोग तथा विकास करना, परन्तु शर्त यह है कि उपनिवेशक ने इस भूमि को उपर्युक्त उपयोग और विकास के लिए बास्तविक तिथि से पहले खरीदा हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करे।
- (ख) व्यक्तिगत स्थल के मामले में भूमि उपयोग के लिए (ब्रौद्योगिक कालोनी से भिन्न) जतं यह है कि :--
 - यथायं तिथि से पुर्व भीन खरीदी गई थी।
 - सरकार को संदुष्टि है कि उबोगों को प्रावश्यकता ऐनी है कि उचित्र प्रचन में होने वाली वैकल्पिक धलाटमैंट की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।
 - भूमि का स्वामी नियमों के प्रन्तर्गत अपेक्षित प्रनुसार भवन के लिए प्रनुमित प्रान्त करता है।
 - 4. निदेशक, द्वारा इस बारे में जैसे तथा जब भी कहा जाये, भूमि का स्वामी निदेशक द्वारा निश्चित प्रानुपातिक प्रभारों की खदावयी का बचन देता है तथा अंतरिम खबिब के दौरान मल निस्त्राव हेतु संतोषजनक व्यवस्था करता है ।

व्याख्या:---

इस विनियम में जब्द ''कय'' से प्रभिन्नाय है पूर्ण स्वामित्व प्रधिकारों का धभिन्नहण तथा त कि प्ररूपतर प्रधिकार सका कय हेतु इकरारनामा प्रादि ।

(XVIII) सघनता :

प्रत्येक रिहायशी सैक्टर का विकास इस हेतु नक्यों में इंगित तथा निर्वारित सैक्टर सवनता के प्रमुक्त्य किया जायेगा बन्नतें कि निर्वारित सैक्टर सवनता के किसी भी पक्ष पर 20 प्रतित्रत से प्रधिक घटा बढ़ी की प्रमुमति नहीं होगी।

(XIX) ग्राबादी देह के बाहर कृषि ग्रंचल ग्रामीण भ्रंचल में फार्म गृह की व्यवस्था:

यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ प्रथवा प्रधिक हो तो प्रावादी देह से वाहर ग्रामीण ग्रंचल में फार्म गृह की प्रनुमति निस्निलिखत मती भूदी जा सकती है :---

क्षेत्र का ग्राकार	रिहायओ यूनिट (मुख्य भवत) हेतु भू पर अधिकतम निर्नित क्षेत्र	मि फार्मश्रैड (ब्रन्थंगीयरभवन)हेतु भूमि पर ब्रधिकतम निर्मात क्षेत्र		
(i) स्थल का क्षेत्र 100 वर्गमीटर 2 एकड़		खेत की भूमि का एक प्रतिवत (श्रमिक/सेवक क्वार्टः के लिए 40 प्रतिवत से प्रधिक क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा) प्रत्येक प्रतिरिक्त 0.25 एकड़ हेतु मुख्य भवन में 10 वर्गमीटर बजतें कि प्रधिकतम 200 वर्गमीटर।		
		ग्रधिकतम ऊंचाई		
	मुख्य रिहायशी यूनिट	धनुषंगी भवन		
(ii) ऊंचाई तथा मंजिल	6 मीटर् इकहरी मंजिल	4 मीटर इकहरी मंजिल		

1730 H	ARYANA GOTT GAZ	2. (E.E.I.E.I)	
मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य समूह	उप समृह
500		सार्वजनिक उपयोगितार्ये	
500	510		उपचार संयंत्र सहित जल आपूर्ति संस्थापना
	520		निपटान कार्यों सहित नालियां तथा सफाई संस्थापना
	530		विद्युत जनित संयंत्र, उपकेन्द्र सादि गैस संस्थान तथा गैस कार्य।
	540		गस संस्थान तथा गत कार्य ग
600		सरकारी तथा ग्रर्धसरकारी	सरकारी प्रशासकीय केन्द्रीय
	610		सचिवालय, जिला कार्यालय न्यायालय. जेलें, थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति का निवास
	second timest		णिक्षा संस्कृति तथा क्षामिक संस्थान
	620		चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थान
	630		मुख्यतः वाणिज्यिक प्रकृति के
	640		सांस्कृतिक संस्थायें जैसे वियटर संगीत नाटयणाला ग्रापेरा ग्रादि
	650		रक्षा व्यवस्था से संबंधित भूमि ।
		कुले स्थान	
700			खेलकृद के मैदान, स्टेडियम
	710		खेलकूद के मेदान
	720		पार्क
	730		ग्रन्य मनोरंजन उपयोग
	740		कब्रिस्तान, श्मशान आदि
	750		. पैट्रोल पम्प तथा बस पन्ति कार्रिका
000		कृषि भूमि	
800			फलोधान
	810 820		'उद्यान तथा नसैरियां
	820		रेशेदार फसलों के ग्रन्तगंत भूमि
	840		चरागाह तथा चरागाह भूमि
	850		वन भूमि
	860		दलदल भूमि
	870		बंजर भूमि
	880		जल ग्रघीन भूमि



(/IV)

परिशिष्ट 'ख

I. रिहायशी क्षेत :

- 1. निवास
- 2. बोडिंग हाऊस
- 3. सामाजिक सामुदाय, धार्मिक तथा मनोरंजन भवन
- 4. सार्वजनिक उपयोगिता भवन
- 5. शैक्षणिक भवन तथा जहां ब्रावश्यक हो, सभी प्रकार के विद्यालय तथा महाविद्यालय
- 6. स्वास्थ्य संस्थान

8

- 7. सिनेमा
- 8 वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक कार्यालय
- 9. खदरा दकानें तथा रैस्टोरैट
- 10. स्थानीय सेवा उद्योग
- 11. पैटोल पम्प
- 12. बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कृटर तथा रिक्शा स्टैंड
- 13. नसंरियां तथा हरित गृह
- 14 रिहायशी प्रयोग में सहायक कोई अन्य लघु उपयोग

II. वाणिज्यिक ग्रंचल :

- 1. खदरा व्यापार
- 2. थोक व्यापार
- 3. भांडागार तथा भंडारण

वाणिज्यिक कार्यालय तथा वैंक

- 1
- धर्मशाला, पर्यटन गृह आदि जैसे रिहायशी आवास उपलब्ध करवाने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थानों सिंहत रेस्तरा, होटल तथा चलते फिरते वोडिंग
- वाणिज्यिक स्रोधार पर चल रहे सिनेमा, होटल, मोटल झौर थियेटर, क्लब, नाटक क्लब स्रादि जैसे जन-सभा के अन्य स्थान।
- 7. व्यावसायिक स्थापनायें
- प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर ग्रावास
- 9. स्थानीय सेवा उधोग
- 10. सार्वजनिक उपयोगिता भवन
- 11. पैट्रोल पम्प ग्रीर सर्विस गैरेज
- 12. लदाई तथा ढलाई याडें
- 13. वाहन खड़े करने के स्थान वस स्टाप, टैक्सी, टांगा तथा रिक्शा स्टैंड
- 14. नगर पाकं
- 15. कोई अन्य उपयोग जिसका निर्णय निर्देशक द्वारा जन हित में लिया जाये।

| निदेशक द्वारा सैक्टर/ | कालोनी की योजना में |> अनुमोदित स्थलों पर | मुख्य उपयोग की स्थानीय | जरूरतों एवं नगर की | जरूरतों के अनुसार ।

जैसा कि मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों और सैक्टर योजना में उनके नियं निर्धारित स्वानें पर या कालोनियों की प्रतुभोदित अभिवन्यास योजनाओं में अपेक्षित है

III. श्रीद्योगिक श्रंचल :

- 1. उपभोक्ता उद्योग
- 2. मध्यम उद्योग
- 3. हानिकारक तथा खतरनाक उद्योग
- 4. भारी उद्योग
- 5. सेवा उद्योग
- 6. भांडागार ग्रीर भंडारण
- 7. पार्किंग, लदाई ग्रीर दुलाई क्षेत्र
- 8. ट्रक स्टेंड/बस स्टाप, टैक्सी, टांगा ग्रीर रिक्शा स्टैंड
- 9. सार्वजनिक उपयोगिता सामुदायिक भवन श्रीर थोक द्कानें
- 10. पैट्रोल पम्प और सेवा गैरेज
- 11. निदेशक द्वारा अनुमत एल० पी० जी० गैस गोदाम
- 12. निदेशक द्वारा अनुमत कोई अन्य उपयोग

IV. परिवहन तथा संचार ग्रंचल :

- 1. रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास का क्षेत्र
- 2. परिवहन नगर, सड़कें श्रीर परिवहन डिपो श्रीर पाकिंग
- 3. मालगाड़ी भाड़ा डिपो
- 4. हवाई ग्रड्डे ग्रीर एयर स्टेशन
- 5. तार घर और टैलीफोन केन्द्र
- 6. प्रसारण केन्द्र
- 7. दरदर्शन केन्द्र
- 8. अनुमोदित स्थलों ग्रीर स्थानों पर कृषि बागवानी ग्रीर नसैरियां
- 9. पैट्रोल पम्प और सेवा गैरेज
- 10. पार्किंग स्थल, वस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और रिक्शा स्टैड

V. सरकारी तथा अर्धसरकारी उपयोगिता अंचल:

- 1. सरकारी कार्यालय सरकारी प्रशासकीय केन्द्र सचिवालय और पुलिस स्टेशन
- 2. शैक्षणिक, सांस्कृतिक ग्रीर धार्मिक संस्थायें
- 3. चिकित्सा स्वास्थय संस्थायं
- नागरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थायें जैसे प्रमुखता ब्रावाणिज्यिक किस्म के थियेटर अपिरा हाउस आदि
- 5. रक्षा संबंधी भूमि
- कोई ग्रन्य उपयोग जिसका निर्णय सरकार द्वारा जन हित में लिया जाये।

तैकटर योजना में और कालोनियों की अनुमोदित अभिवित्यास योजन में उनके लिये निष्टां,

) सैक्टर योजना में | निर्धारित स्थलों पर ।

सैक्टर योजना में निर्धारित स्थलों पर।

XI सार्वजनिक उपयोगगितायें:

- 1. जल सप्लाई स्थापना अन्य वारामा आजा वारामा अन्यान प्राप्त के जिल्ह्य क्लोनियान प्रसाद क्लोनिय वार
- 2. शोधन कार्य
- 3. निकास और सप्लाई स्थापना
- 4. डिस्पोजल वर्णेन
- 5. बिजली संयंत सबस्टेशन ग्रादि जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हो।
- 6. गैस स्थापना और गैस वर्तस का है है का हिन्दा पान है है है है कि और एक अ

VII & "(न

- 1. खेलकद, मैदान , स्टेडियम और खेल मैदान
- 2. पार्क ग्रीर हरित क्षेत्र
- 3. कब्रिस्तान, श्मशान ग्रादि
- 4. निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ-2 डीजल पेट्रोल पम्प बस के लिये निदेशक नगर बनाई गई पंक्ति हेतु शैल्टर आयोजना विश

िनिदेशक नगर तथा ग्राम { श्रायोजना विभाग द्वारा श्रमुमोदित स्थलों पर।

5. निदेशक की अनुमति से किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन हेतु उपयोग

VIII उपयोग, जो कठोरता पूर्वक वर्जित है:

उचित लाईसैंस के बिना पैट्रोलियम श्रीर ग्रन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण।

IX कृषि ग्रंचल :

- 1. कृषि, वागवानी, डेरी श्रीर मुर्गीपालन
- 2. ग्राबादी देह में ग्राम गृह
- 3. शंचल विनियम XIX में उल्लेखित प्रतिबन्ध के अनुसार बाबादी देह के बाहर फार्म प्रमुमीदित गढ

तिदेशक, नगरतथा ग्राम श्रायोजना विभाग द्वारा प्रमुमोदित ग्रमुसार।

- 4. विहार के लिये उसके किसी भाग का वन रोपण विकास
- श्राबादी देह के समीप विद्यमान गांव का विस्तार यदि उपक्रम केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा प्रायोजित है:
- 6. दग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्यूराईजेशन संयंत्र
- 7. बस ग्रह्डा ग्रीर रेलवे स्टेशन
- 8. ग्रावश्यक भवनों सहित हवाई ग्रह्डा

- 9. बेतार केन्द्र
- 10. निर्देशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ग्रनाज गोदाम भंडारण स्थान
- 11. मौसम केन्द्र
- 12. भिम विकास और सिचाई के लिये पन बिजली निर्माण कार्य और नलक्प
- टैलीफोन खोर बिजली परिषण लाईनें थ्रोर बम्मे नियमों के अनुसार धौर अनुमोदित स्थलों पर ।
- 14. खनन और निषकवंण कार्य जिसमें चूना और ईंटों पर भट्डे, पत्थर, खदाने और पीडन शामिल हैं।
- 15. शमशान ग्रीर कविस्तान
- 16. पैट्रोल पम्प और सेवा गैरेज
- 17. पन-बिजली/बर्मल विजली संयंव/उपकेन्द्र
- 18. निदेशक के अनुमोदन से एल० पी० जी० गैस भंडारण गोदाम
- 19. (क) निम्नितिखित में से किती एक गर्त के अनुसार और आई० एन०/एस० एस० आई० यूनिटों के रूप में पंजीकृत गैर अवपण उद्योग:——
 - विद्यमान गांव आवादी के चारों घोर आधे कि भी ० पर स्थित हो घोर जहां अनुसूचित सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग घोर राज्य राजमार्ग से मिन्न सार्वजनिक सडक/रास्ते से पहचा जा सकता है:

ितिदेशक नगर तथा ग्रान { ग्रायोजना विभाग द्वारा चित्रनुमोदित ग्रनुस(र ।

- कम से कम 30 फुट चौड़ी सार्वजनिक सङ्क/रास्ते पर हो (अनुवृचित सङ्कों, विश्वनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्व और राज्य राजमार्ग से भिन्त (पहुंच सङ्क के साथ साथ –साथ 100 मीटर अंचल से बाहर हो।
- (ख) जो प्रमुख्तित सङ्कों राष्ट्रीय राजनार्गयीर राज्य राजनार्गमें में भिन्नकम से कम 30 फुट वीडी सार्वजनिक सङ्कोराजस्य रास्ते पर गैर प्रदूषण मध्यम ग्रीर बड़े पैमाने का कृषि ग्राधार ग्राधारित ज्योग हो।
 - (ग) यह स्थल रक्षा स्थापनाश्रों के चारों श्रोर की 900 मी॰ प्रतिबन्द पट्टी में नहीं श्राना चाहिये।
 - 20. कोई ग्रन्य उपयोग, जिसका निर्णय जन हित में सरकार द्वारा लिया जाये।

भास्कर चटर्जी,

ग्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम ग्रायोजना विभाग।